न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील / एलआर / 4709 / 2005 / भीलवाड़ा

हीरा आत्मज होकमा जाट निवासी बिठ्ठलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार।
2— चैयरमैन अलॉटमेंट कमेटी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—
1. श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक— 30—7—2025

हस्तगत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 94 / 05 में पारित निर्णय दिनांक 9—8—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 7—6—1990 द्वारा ग्राम बिठ्ठलपुरा की आराजी खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नंबर 317 / 237 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का अपीलांट को नियमन की सिफारिश करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा कैम्प मोटरों का खेड़ा (प्रशासन आपके द्वार) आयोजित शिविर में अपने आदेश दिनांक 29—4—2005 द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को भूमिहीन कृषक नहीं मानते हुए विवादित आराजीयात बाबत् तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा पारित पारित आदेश दिनांक 7—6—1990 निरस्त कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पारित

आदेश दिनांक 29–4–2005 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–8–2005 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2005 यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2005 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया। आवंटन सलाहकार समिति, माण्डलगढ़ ने विवादित आराजी को अपीलांट के हक में 30 वर्षों से अधिक समय का कब्जा सिद्ध होते हुए भी नियमन नहीं कर तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा की गई सिफारिश खारिज कर त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट का जिस समय विवादित आराजी पर कब्जा काश्त था, उस समय न कोई तालाब था तथा न कोई बांध की नहर आती थी। यह योजना बाद में बनने पर पानी आना बताया गया। मगर आज दिन तक भी किसी भी बांध की नहर से अपीलांट के खाते की जमीन सिंचित नहीं हुई है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–8–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ कैम्प मोटरों का खेड़ा (प्रशासन आपके द्वार) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2005 निरस्त किये जाकर तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2005 यथावत रखा जाकर विवादित आराजीयात् का नियमन अपीलांट को किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के खाते में 10 बीघा 16 बिस्वा सिचिंत भूमि एवं 1 बीघा 3 बिस्वा असिंचित भूमि दुगुना करने पर अपीलांट के खाते में 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि होना

मानते हुए अपीलांट का नियमन खारिज किया है, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह की है तथा ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(ii) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का जोजबा द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम बिठलपुरा की आराजी खसरा नंबर 302 रकबा 4 बीघा एवं 317/235 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा चरागाह भूमि पर प्रार्थी के अवैध कब्जे को नियमितीकरण बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया । उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत 2022 एवं संवत 2030 से 2033 में खसरा नंबर 302 चरागाह दर्ज है । तहसीलदार द्वारा कब्जा पुराना होने के आधार पर उक्त भूमि के नियमन की सिफारिश दिनांक 7—6—90 से उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ को प्रेषित की जिसमें उन्होंने स्पष्ट अंकित किया है उक्त भूमि चरागाह की भूमि है एवं चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित होने के बावजूद उनके द्वारा उक्त भूमि के नियमन की सिफारिश जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29—4—2005 अपीलाण्ट को भूमिहीन की श्रेणी में नहीं मानकर तहसीलदार के आदेश दिनांक 7—6—90 को निरस्त कर दिया । पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट के खाते में सिंचित 10 बीघा 16 बिस्वा एवं असिंचित 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी तथा सिंचित को दुगुनी करने पर हीरा पिता होकमा के खाते में 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। इस प्रकार आंवटी के खाते में पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण करने से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी नहीं आता है । इस प्रकार उक्त सिफारिश राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियम, 1970 के नियम 14(8)(स) के प्रावधानों के विपरीत है जो इस प्रकार है—

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-

(c) it is found that the allottee was not a landless agriculturist;

उक्त प्रावधानों के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी ने विधिसम्मत तरीके से अपीलाण्ट को भूमिहीन की श्रेणी में नहीं मानकर तहसीलदार के अनुशंसा को निरस्त कर दिया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा मात्र अनुशंसा किए जाने के आधार पर अपीलाण्ट को भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है । अपीलाण्ट की स्थिति विवादित भूमि पर अतिक्रमी की है, जिसका चरागाह की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा है एवं उक्त भूमि आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित होने से एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते । उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में दस्तोवजो के अवलोकन के पश्चात अपीलाण्ट को अतिक्रमी माना है एवं अतिक्रमी के आधार पर नियमन का पात्र नहीं मानकर अपील खारिज की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है तथा अपील में विधि का कोई प्रश्न भी अन्तर्वलित नहीं है। इसलिए, द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

> "Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि कोई लम्बित हों ,तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य